न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां R.T.S.

मिसल नं. ::: 42 / 2017

सरकार बनाम ताराचन्द पुत्र प्रहलाद, जाति– जाट, निवासी– जीणी

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 10.04.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल ताराचन्द पुत्र प्रहलाद, जाति–जाट, निवासी–जीणी द्वारा रोही मौजा जीणी की राजकीय गै. मु. सड़क की भूमि ख.नं. 433 / 253 कुल रकबा 0.32 है0 किस्म गै.मु. सड़क में से 27 वर्गमीटर भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसके पुत्र ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थी अपना अतिक्रमण स्वयं खाली कर देगा। अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरहं लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं....03....पर
वर्ष.2017-18...में रूपये...5/-...कायम कि.!
राजस्व लेखाकार